[2024] 12 एस.सी.आर 1093: 2024 आई.एन.एस.सी 995

अतहर परवेज़

बनाम

भारत संघ

(2024 की आपराधिक अपील सं. 5387)

17 दिसंबर 2024

[अभय एस. ओका एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह,* न्यायमूर्ति गण]

विचारणीय बिंदु

अपीलकर्ता पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है, जो 2022 में भारत के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने की योजना बनाने में शामिल था। अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 121, 121क, 122, 153क और 153ख तथा गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 17, 18, 18क, 18ख और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। अभी तक आरोप तय नहीं किया गया हैं। अपीलकर्ता लंबे समय से कारावास में है, निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। क्या उच्च न्यायालय का जमानत देने से इनकार करना न्यायोचित है।

निर्णय-सार†

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - धारा. 43-घ(5)- भारत का संविधान - अनुच्छेद 21 - अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार - चुनौतीः

अभिनिर्धारित किया: आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है – पी.एफ.आई., जिसका अपीलकर्ता सदस्य था, को यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 2(एम) के अर्थ में आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है – इसकी पहली अनुसूची में इसे आतंकवादी संगठन के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है – आरोप पत्र और गवाह 'जेड' के बयान को जैसा है वैसा ही देखा जाए तो प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष दर्ज करना संभव नहीं होगा कि यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत अपराध किया गया है क्योंकि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है

कि आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं – संरक्षित गवाहों के बयान में ऐसा कुछ भी विशिष्ट उल्लेख नहीं है जिससे अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सके जो प्रथम दृष्टया यू.ए.पी.ए. के तहत आरोपों को आकर्षित कर सके – यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 43-घ(5) से संबंधित परीक्षण संतुष्ट है – इसके अलावा, अपीलकर्ता को 12.07.2022 को गिरफ्तार किया गया था और वह दो साल और चार महीने से अधिक समय से हिरासत में है - आरोप पत्र 07.01.2023 को दायर किया गया था लेकिन आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं - 40 अभियुक्तों और 354 गवाहों से पूछताछ की जानी है - मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है - अपीलकर्ता को अनिश्चित काल तक कारावास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी बिना मुकदमे के, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है - अपीलकर्ता के सह-अभियुक्त को भी इसी आधार पर जमानत दी गई है - अपीलकर्ता को विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत दी गई है। [कंडिका 28, 31-34]

आपराधिक कानून - जमानत - प्रतिबंध/सख्त वैधानिक प्रावधान - भारत का संविधान - अनुच्छेद 21 - त्वरित सुनवाई का अधिकार - लंबे समय तक कारावास, मुकदमे के समापन में देरी के मामलों में जमानत देना - चर्चा की गईः

अभिनिर्धारित कियाः वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन समय बीतने के साथ, उस वैधानिक प्रावधान का प्रभाव संविधान के भाग III के अधिदेश के अनुसार कम हो जाएगा, जहाँ अभियुक्त अभी तक दोषी नहीं है और वह आरोपों का सामना कर रहा है - ऐसी परिस्थितियों में शीघ्र सुनवाई का संवैधानिक अधिकार कानून के प्रतिबंध/सख्त प्रावधानों पर वरीयता प्राप्त होगा और इसे जमानत से इनकार करने का एकमात्र कारण नहीं बनाया जा सकता - इसलिए, अभियुक्त की कारावास की अवधि भी एक प्रासंगिक कारक हो सकती है जिस पर संवैधानिक न्यायालयों को विचार करना चाहिए, न कि केवल वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए। [कंडिका 20]

न्याय दृष्टांत

भारत संघ बनाम के.ए. नजीब **[2021] 1 एस.सी.आर. 443 : (2021) 3 एस.सी.सी. 713;** *थवाहा फसल बनाम भारत संघ* **[2021] 8 एस.सी.आर. 797 : (2022) 14 एस.सी.सी. 766;** *जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* **[2024] 7 एस.सी.आर. 992 : 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1693 - लागू हुआ।**

राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली **[2019] 5 एस.सी.आर. 1060 :**

(2019) 5 एस.सी.सी. 1; *जलालुद्दीन खान बनाम भारत संघ* **[2024] 8 एस.सी.आर. 633 : 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1945 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967; दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत; गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43-घ(5); पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.); अशांति; भारत के प्रधानमंत्री का प्रस्तावित यात्रा; यू.ए.पी.ए. के तहत आरोप; लंबी कैद; आतंकवादी संगठन; अनिश्चित काल तक जेल में सड़ना; भारत के संविधान का अनुच्छेद 21; सह-आरोपी; मुकदमे के समापन में देरी; त्वरित मुकदमे का अधिकार; कारावास की अवधि; इस्लामिक नियम; वसूली; धार्मिक वैमनस्य; धार्मिक घृणा; आतंकवादी संगठन; इस्लामिक नियम; नूपुर शर्मा; पैगंबर मो.; सांप्रदायिक नारेबाजी; आपत्तिजनक गतिविधियाँ; स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (इस.आई.एम.आई.)।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2024 की आपराधिक अपील सं. 5387

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दिनांक 28.11.2023 के 2023 के आप. अपील ख.पी. सं. 516 में निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: डॉ. आदित्य सोंधी, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्येश प्रताप सिंह, आदिल शरफुद्दीन, शशांक सिंह, आकाश एलेक्स, सुश्री ऐश्वर्या इस.एम., सुश्री मेघना टी.एम., अनुभव कुमार, अधिवक्ता गण।

उत्तरदाता के लिए: सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., सुश्री पूर्णिमा सिंह, सुश्री शगुन ठाकुर, वासु वत्स, सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री बानी दीक्षित, सुश्री सीमा बेंगानी, परंतप सिंह, सुश्री राजेश्वरी शंकर, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता गण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 516/2023 में दिनांक 28.11.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपीलकर्ता को प्राथमिकी सं. 827/2022 में आरोपी सं. 01 के रूप में दर्ज किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे "भा.दं.सं." कहा जाएगा) की धारा 120, 120-ख, 121, 121क, 153क, 153ख और 34 के तहत थाना फुलवारी शरीफ, पटना में दर्ज की गई थी।

3. अपीलकर्ता को एक सह-आरोपी जलालुद्दीन खान उर्फ मो. जलालुद्दीन के साथ 12.07.2022 को गिरफ्तार किया गया था। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (जिसे आगे "पी.एफ.आई." कहा जाएगा) का एक सक्रिय सदस्य है, और वह अपने सहयोगियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने की योजना बना रहा था। इसी के चलते 11.07.2022 को अहमद पैलेस, फुलवारी शरीफ, पटना की पहली मंजिल पर छापा मारा गया, जिसे अपीलकर्ता ने सह-आरोपी मो. जलालुद्दीन से किराए पर लिया था।

4. छापेमारी के दौरान कुछ चीज़ें बरामद की गईं, जिनमें "भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर, आंतरिक दस्तावेज़ प्रसार के लिए नहीं" शीर्षक वाली दस्तावेज प्रमुख थी। जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर शिकायत में यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता और पी.एफ.आई. के अन्य सदस्यों का उद्देश्य भारत की संप्रभुता को भंग करना और देश के विरुद्ध असंतोष पैदा करना था।

5. आरोपों और संबंधित अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2022 के आधिकारिक आदेश के तहत राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (जिसे आगे "एन.आई.ए." कहा जाएगा) को जाँच शुरू करने का निर्देश दिया। तदनुसार, एन.आई.ए. ने धारा 120, 120ख, 121, 121क, 153क और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (जिसे आगे "यू.ए.पी.ए. 1967" कहा जाएगा) की धारा 13 के तहत दिनांक 22.07.2022 को आर.सी- 31/2022/एन.आई.ए./डी.एल.आई. के रूप में मामला पुनः पंजीकृत किया और जाँच शुरू की। जाँच के बाद, अपीलकर्ता के विरुद्ध 07.01.2023 को भा.दं.सं. की धारा 121, 121क, 122, 153क और 153ख तथा यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 13, 17, 18, 18क, 18ख और 20 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया। हालाँकि, आज तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि दस्तावेजों की जब्ती, जैसा कि अपीलकर्ता के किराए के आवास से आरोप लगाया गया है, अत्यधिक शंकालु और संदिग्ध है, बल्कि यह मनगढ़ंत और निर्मित है। जब्ती ज्ञापन/सूची के अनुसार, अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल से बरामदगी की गई है, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार स्वयं कभी भी अपीलकर्ता के कब्जे में नहीं थी, बल्कि यह पहली मंजिल है जो अपीलकर्ता के पास किराए पर थी।यहां तक कि जिस किराया विलेख पर निर्भरता रखी गई है, उसमें भी पहली मंजिल के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

7. यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को देखते हुए, यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत कोई अपराध या यहां तक कि विधेय अपराध भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने दलील दी है कि प्राथमिक आरोप "भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर, आंतरिक दस्तावेज़ प्रसार के लिए नहीं" शीर्षक वाले सात पन्नों के दस्तावेज की कथित बरामदगी के संबंध में हैं, जिसमें एक इस्लामी शासन से संबंधित विभिन्न पाठ शामिल हैं

जो भारत में स्थापित किया जाना है। यह तर्क दिया जाता है कि कथित वसूली जब्ती ज्ञापन/सूची के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। जैसा कि उक्त दस्तावेज किसी भी तरह से किसी भी आतंकवादी गतिविधि या प्रत्यक्ष कार्य के बारे में बात नहीं करता है जो वैमनस्य या धार्मिक घृणा पैदा करेगा।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दिया है कि पी.एफ.आई. को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस तारीख को छापा मारा गया था यानी 11.07.2022 और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की तारीख यानी 12.07.2022 को, पी.एफ.आई. कानूनी रूप से गठित संगठन था। आज तक इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आरोपपत्र में अपीलकर्ता की किसी सक्रिय भूमिका का संकेत नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उसने राज्य की नीतियों के खिलाफ या यूँ कहें कि नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मो. के खिलाफ की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में कुछ प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था।

9. एक अन्य आरोप 6 और 7 जुलाई 2022 को अहमद पैलेस के किराए के पहले तल के परिसर में एक बैठक आयोजित करने के संबंध में है। आरोपों के अनुसार गवाहों के बयानों से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि अपीलकर्ता ने किसी भी चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया था या वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपराध करने के लिए उकसाया था जो आरोप पत्र में उल्लिखित अपराधों के दायरे में आता है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दावा किया है कि अपीलकर्ता (जलालुद्दीन खान) के सह-अभियुक्त, जिसके आवेदन पर भी उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के साथ जमानत देने पर विचार किया था, को इस न्यायालय ने **आपराधिक अपील सं. 3173/2024**[1] में जमानत दे

1 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1945/ आपराधिक अपील सं. 3173/2024 का निर्णय 13.08.2024 को हुआ

दी है। उनकी भूमिका अपीलकर्ता के समान ही है, सिवाय इसके कि उन्हें इमारत का मालिक बताया गया था और उन्होंने अपीलकर्ता को आवास किराए पर दिया था। जहाँ तक 6 और 7 जुलाई 2022 को हुई बैठक में उनकी भागीदारी का सवाल है, उनकी स्थिति उन सह-अभियुक्तों जैसी ही है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है। केवल बैठक में भाग लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। अन्य सह-अभियुक्त, जिन पर पी.एफ.आई. का सदस्य होने और कथित सांप्रदायिक नारे लगाने वाले विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के समान आरोप हैं, को उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। यहाँ तक कि संरक्षित गवाहों की गवाही भी आरोप पत्र के अनुसार कथित अपराध में अपीलकर्ता को शामिल नहीं करती है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाह सैयद अबू मोनवर द्वारा दिए गए बयान की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है कि इस गवाह के अनुसार, इमारत के भूतल पर दुकानें और रोग विज्ञान प्रयोगशाला जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं जहां छापा मारा गया था। उक्त परिसर में सीसीटीवी कैमरों को लगाने की अनुमति नहीं दी गई होगी या पहली मंजिल पर पी.एफ.आई. द्वारा कुछ आपत्तिजनक गतिविधियाँ भी की गई होंगी। यह यह भी दर्शाता है कि यह तर्क के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है कि जहाँ ऐसी आपत्तिजनक गतिविधियाँ की जानी थी जैसा कि आरोप लगाया गया है, वही गतिविधियाँ ऐसे क्षेत्र में होंगी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने वर्णित किया है।

12. एक अन्य निवेदन जो सामने रखा गया है वह यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा 354 गवाहों का हवाला दिया गया है और अपीलकर्ता 12.07.2022 से दो साल और चार महीने से अधिक समय से हिरासत में है और निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है। अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

13. दूसरी ओर, उत्तरदाता के विद्वान अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता ने जोर देकर कहा है कि बिहार पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान, न केवल विचाराधीन परिसर से आपत्तिजनक सामग्री/दस्तावेज बरामद किए गए थे, बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए हैं जो स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता पी.एफ.आई. का एक सक्रिय सदस्य था और उसने न केवल विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था, बल्कि सक्रिय रूप से इसका आयोजन किया था। उनका तर्क है कि भारत में इस्लामी शासन को आगे बढ़ाने और स्थापित करने के लिए अपीलकर्ता के किराए के परिसर में प्रशिक्षण और बैठक आयोजित की गई थी। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शामिल हुए और उक्त बैठक में पैगंबर मो. और इस्लाम के बारे में अपमानजनक बयान देने वालों को मारने और उन पर हमला करने के निर्देश दिए गए।

14. यह आगे दलील दिया जाता है कि अपीलकर्ता इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक बयान देने या देने वाले व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भारत के पूर्व छात्र इस्लामी आंदोलन (जिसे इसके बाद "एस.आई.एम.आई." के रूप में संदर्भित किया गया है) के सदस्यों का एक गुप्त समूह बनाने के लिए काम कर रहा था, जो प्रतिबंधित संगठन है। अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों ने विरोध में भाग लिया था और वीडियो बरामद किए गए थे जिसमें सांप्रदायिक नारों को रिकॉर्ड किया गया था और प्रसारित किया गया था, जिसका उद्देश्य न केवल समाज में अशांति पैदा करना था, बल्कि धार्मिक वैमनस्य और कलह पैदा करना था। सी.डी.आर. अभिलेखों ने स्थापित किया कि अपीलकर्ता अन्य सह-अभियुक्तों के संपर्क में था और उसने पी.एफ.आई. की गैरकानूनी विचारधारा का विस्तार करने की साजिश रची थी। प्राथमिकी में नामित अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त की भागीदारी के बारे में, वह कहती हैं कि अहमद पैलेस में स्थापित 6 और 7 जुलाई के सी.सी.टी.वी. फुटेज में वही दर्शाया गया है जो देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और घृणा की भावना को बढ़ावा देने के इरादे से गैरकानूनी गतिविधियों को

अंजाम देने की साजिश में अपीलकर्ता की संलिप्तता को स्थापित करता है। विचारण न्यायालयों और विशेष रूप से विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए. पटना ने 28.04.2023 को आरोप पत्र का संज्ञान लिया है।

15. विद्वान अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता, हालांकि मुकदमे के चरण पर विवाद नहीं कर सके क्योंकि कोई आरोप नहीं बनाया गया है। विद्वान अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता द्वारा संरक्षित गवाहों के बयानों पर जोर दिया गया है, जिसमें जेड, वाई और एक्स पर विशेष जोर दिया गया है। गवाह मुर्तुज अली के बयान पर भी भरोसा किया गया है। पुलिस थाना, पीरबहोर, पटना के क्षेत्र में विरोध मार्च और 09.06.2022 को नारों के संबंध में आरोप पत्र के कंडिका 15.2 का भी संदर्भ दिया गया है। कंडिका 15.5 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित है जिसमे अहमद पैलेस में स्थापित सी.सी.टी.वी. की हार्ड डिस्क/डी.वी.आर. बरामद की गई थी, जिसमें 6 और 7 जुलाई 2022 को आयोजित बैठक में अपीलकर्ता की उपस्थिति दिखाई गई थी। कंडिका 17.2 फिर से किराए के परिसर में आयोजित प्रशिक्षण के संबंध में विवरण और एस.आई.एम.आई. के साथ अपीलकर्ता के संबंध को संदर्भित करता है। कंडिका 17.3 और 17.4 'भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की दिशा में, आंतरिक दस्तावेज प्रचलन के लिए नहीं' शीर्षक वाले दस्तावेज के संबंध में हैं, जिसमें इसकी सामग्री का उल्लेख किया गया है। कंडिका 17.13 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड पर प्रकाश डालता है जो 6 और 7 जुलाई 2022 की बैठक में एक-दूसरे के साथ अपने स्थान और संबंध का खुलासा करते हैं। कंडिका 17.15 और 17.16 - संरक्षित गवाह 'जेड' का बयान। कंडिका 17.33 पी.एफ.आई. के वरिष्ठ सदस्यों के निर्देश पर अपीलकर्ता और अन्य लोगों द्वारा ज़कात और दान के लिए धन के संग्रह से संबंधित है। कंडिका 17.34 आरोप पत्र में इन आरोपों के संदर्भ में संरक्षित गवाह 'वाई' के बयान से संबंधित है।

16. विद्वान अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता ने इस प्रकार जोर देकर कहा है कि अपीलकर्ता के

खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसलिए विचारण न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से उचित हैं और वर्तमान अपील में की गई प्रार्थना को खारिज किया जाना चाहिए।

17. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सक्षम सहायता से आरोप पत्र का अध्ययन किया है। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 43-घ(5) के तहत जमानत देने के अनुरोध पर विचार करते समय जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन पर विचार किया जाना चाहिए।

18. इस न्यायालय को यू.ए.पी.ए., 1967 के अध्याय IV और VI के तहत आरोपित एक अभियुक्त के मामले पर विचार करने का अवसर मिला, जिसने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली[2] मामले में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी थी। उस मामले में, इस न्यायालय ने यहाँ तक कहा था कि जमानत देने पर वैधानिक रोक बाधा नहीं बन सकती यदि न्यायालय साक्ष्यों की समग्रता के आधार पर संतुष्ट हो कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य नहीं हैं। न्यायालय को न केवल प्राथमिकी पर विचार और जाँच करनी है, बल्कि वाद दैनिकी और आरोप पत्र पर भी विचार और जाँच करनी है और अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता की व्यापक संभावनाओं के आधार पर उनका परीक्षण करना है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं या नहीं, बजाय इसके कि अभियुक्त को दोषी न माना जाए, जिससे यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 43-घ(5) के प्रावधान जमानत देने में बाधा नहीं बनेंगे।

न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला कि यदि वाद दैनिकी और आरोप पत्र के अवलोकन से यह राय बनती है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने का कोई उचित आधार नहीं है, तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि इस बारे में राय बनाते समय कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप

2 [2019] 5 एस.सी.आर. 1060 : (2019) 5 एस.सी.सी. 1

प्रथम दृष्टया सत्य है या नहीं, उक्त दस्तावेजों को यथावत स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता या अन्यथा के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करें।

19. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर जमानत देने के लिए संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रयोग करने के लिए लंबे समय तक कारावास और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना को भी एक आधार के रूप में लिया गया है जो उचित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करने की प्रत्याभूति देता है। मुकदमे के समापन में अत्याधिक देरी इस तरह के आह्वान को उचित ठहराएगी जिससे भारत के संविधान के भाग III का उल्लंघन होता है, जिसे किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के आधार के रूप में लिया जा सकता है। इस संबंध में भारत संघ बनाम के. ए. नजीब[3] में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उस मामले में इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि 276 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी थी, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक मुकदमा चलेगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप किसी अभियुक्त को अधिक अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ेगा। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि न्यायालय यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त सतर्क था कि कानून के तहत प्रतिबंध, जैसा कि इस मामले में, यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 43-घ(5) के साथ-साथ न्यायालय द्वारा संवैधानिक क्षेत्राधिकार के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

20. प्रारंभिक चरण में, विधायी नीति का मूल्यांकन करने और न्यायालयों द्वारा उसका पालन करने की आवश्यकता है। सांविधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेकिन समय बीतने के साथ उस सांविधिक प्रावधान के प्रभाव को वास्तव में संविधान के भाग III के अधिदेश को

3 [2021] 1 एस.सी.आर. 443 : (2021) 3 एस.सी.सी. 713

रास्ता देते हुए कम करना होगा जहां आरोपी अभी तक दोषी नहीं है और आरोपों का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को क़ानून के प्रतिबंध/सख्त प्रावधानों पर प्राथमिकता दी जाएगी और जमानत से इनकार करने का एकमात्र कारण नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, किसी अभियुक्त की कारावास की अवधि भी एक प्रासंगिक कारक हो सकती है जिस पर संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए।

21. थ्वाहा फसल बनाम भारत संघ[4] और जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य[5] में इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहाँ न्यायालय यू.ए.पी.ए., 1967 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था और उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया था। मौलिक अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए और विलंबित सुनवाई के मामले में वैधानिक प्रावधानों पर उनकी प्राथमिकता पर ज़ोर दिया था। उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय ने यहाँ तक कहा था कि जिस अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है, उसकी गंभीरता महत्वपूर्ण नहीं होगी क्योंकि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।

22. इन बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम वर्तमान अपील के संबंध में स्थिति पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मुख्य रूप से यह है कि वह पी.एफ.आई. का एक सक्रिय सदस्य है, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार भारत में इस्लामी शासन लाने के लिए प्रतिबद्ध एक संगठन है। उक्त उद्देश्य के लिए, समाज के भीतर वैमनस्य और आंतरिक संघर्षों को लाने की कोशिश की जाती है ताकि असंतोष हो और समाज के भीतर शांति और स्थिरता भंग हो। हिंसा और हिंसक साधनों का सहारा लेने का भी उक्त संगठन द्वारा प्रचार और अभ्यास करने का आरोप

4 [2021] 8 एस.सी.आर. 797 : (2022) 14 एस.सी.सी. 766

5 [2024] 7 एस.सी.आर. 992 : 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1693

लगाया गया है जिसमें अपीलकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वह वह व्यक्ति है जिसने पैगंबर मो. और इस्लाम के खिलाफ नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ 09.06.2022 को आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उक्त विरोध में, वह न केवल एक प्रतिभागी थे, बल्कि एक आयोजक थे और प्रदर्शनकारियों को भड़काऊ नारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसके अलावा आरोप हैं कि उन्होंने अहमद पैलेस की पहली मंजिल किराए पर ली थी, जहां पी.एफ.आई. की गतिविधियां चल रही थीं। 29 मई 2022 और 6 और 7 जुलाई 2022 को आयोजित पी.एफ.आई. की बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है।

23. इन बैठकों में न केवल अपीलकर्ता की ओर से बल्कि पी.एफ.आई. के अन्य सदस्यों की भी भागीदारी थी। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने उक्त बैठकों का आयोजन किया था, अपने परिसर का उपयोग किया था और पी.एफ.आई. से संबंधित दस्तावेजों और सामग्री को संग्रहीत और रखा था जो आपत्तिजनक थे। उक्त बैठकों में भारत में इस्लाम के 2047 शासन के कार्यावली को पूरा करने के लिए चर्चा की योजना बनाई गई और इसे प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर काम किया जा रहा था। उपस्थित सदस्यों से पैगंबर मो. और इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाने और उन्हें बेअसर करने का आह्वान किया गया था।

24. उक्त आरोपों की पुष्टि करने के लिए संरक्षित गवाहों विशेष रूप से एक्स, वाई और जेड के बयानों के साथ-साथ परिसर से बरामद दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है। गवाहों की संख्या, कारावास की अवधि और मामले में 40 अभियुक्त होने के संबंध में तथ्यात्मक पहलू विवादित नहीं है। इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा <u>जलालुद्दीन खान बनाम भारत संघ</u>[6] में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जो अपीलकर्ता के सह-अभियुक्त से

6 [2024] 8 एस.सी.आर. 633: 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1945/ आपराधिक अपील सं. 317/2024 का निर्णय 13.08.2024 को हुआ।

संबंधित है, जिसकी यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत जमानत देने की अपील, वर्तमान अपीलकर्ता की अपील के साथ, उच्च न्यायालय के एक सामान्य आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई थी। वर्तमान अपीलकर्ता और मो. जलालुद्दीन के मामले में एकमात्र अंतर यह था कि वह परिसर का मालिक था जबकि अपीलकर्ता उसका किरायेदार है। 6 और 7 जुलाई 2022 की बैठक में अपीलकर्ता, सह-अभियुक्त मो. जलालुद्दीन और अन्य अभियुक्तों की भागीदारी पर कोई विवाद नहीं हुआ था। अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त मो. जलालुद्दीन के खिलाफ साक्ष्य लगभग एक जैसे हैं।

25. सबसे प्रमुख साक्ष्य संरक्षित गवाह 'जेड' की गवाही है, जिसे पी.एफ.आई. में इसके सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था। अपने बयान में, अपीलकर्ता के उन बैठकों/प्रशिक्षणों में से किसी में भाग लेने या उनका नेतृत्व करने का कोई उल्लेख नहीं है, जहां लाठी, चाकू या अन्य हथियारों का उपयोग करके हमला और रक्षात्मक तकनीक सिखाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया था। जहाँ तक 29 मई 2022 को अहमद पैलेस में आयोजित बैठक का संबंध है, उनके द्वारा जो कहा गया है वह केवल यह है कि अपीलकर्ता ने 40-45 व्यक्तियों के साथ बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता रियाज़ फ़िरनागिपेट ने की थी। इस बैठक में संगठन के विस्तार, राजनीतिक, शैक्षिक और प्रशासनिक मोर्चों पर मुसलमानों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत विशेष रूप से जिन पर अपीलकर्ता द्वारा किए जाने का आरोप लगाया गया है, उन पर आरोप लगाने के लिए कथित रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। 6 और 7 जुलाई 2022 को अहमद पैलेस में आयोजित बैठक के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। उक्त बैठक में, अपीलकर्ता की कोई सक्रिय भूमिका नहीं मानी गई है सिवाय इसके कि वह उपस्थित था और जिस परिसर में यह बैठक हुई थी, वह किरायेदार होने के नाते उसके कब्जे में था। पुनः, वर्तमान बैठक के संबंध में गवाह "जेड" द्वारा दिए गए बयान में अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ भी दोषपूर्ण नहीं है। गवाह ने केवल कहा है कि

यह बैठक पैगंबर मो. के खिलाफ नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों को देखते हुए बुलाई गई थी।

26. अपीलकर्ता के सह-अभियुक्त और परिसर के मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन की जमानत याचिका से संबंधित मामले में, इस न्यायालय को आरोप पत्र के उन कंडिकाओं पर विचार करने का अवसर मिला, जिनमें 29 मई 2022 और 6 और 7 जुलाई, 2022 को हुई बैठकों का उल्लेख किया गया था। उक्त कंडिकाओं को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसमें लगाए गए आरोपों पर विचार करने पर, जब संरक्षित गवाह 'ज़ेड' के बयान के संदर्भ में देखा जाता है, जो न्यायालय को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया गया है, तो उक्त निर्णय के कंडिका 11 (प्रासंगिक भाग) में कहा गया है कि यह इस प्रकार है:

> **"11.** xxx xxx xxx xxx
>
> कंडिका 17.16 में आरोप लगाया गया है कि संरक्षित गवाह जेड ने कहा कि बैठक में संगठन के विस्तार, पी.एफ.आई. सदस्यों के बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण और भविष्य की पी.एफ.आई. योजनाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई और प्रशिक्षित पी.एफ.आई. कैडर को एक नूपुर शर्मा को हटाने का निर्देश दिया गया। संरक्षित गवाह जेड के बयान में, वह सब नहीं पाया जाता है। वास्तव में, संरक्षित गवाह जेड ने कहा कि बैठक के दौरान, मुसलमानों की स्थिति को मजबूत करने, उन्हें बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने और मुसलमानों की शिक्षा, राजनीति और प्रशासन और मुस्लिम सशक्तिकरण की स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। गवाह के बयान के अनुसार, हम पाते हैं कि 29 मई 2022 को आयोजित बैठक में पी.एफ.आई. की गतिविधियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हम संरक्षित गवाह जेड के बयान को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे मोहरबंद लिफाफे में रखा गया है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कंडिका 17.16 में जो पुनः प्रस्तुत किया गया

है वह सही नहीं है। गवाह जेड के वास्तविक बयान के भौतिक हिस्से को आरोप पत्र के कंडिका में पूरी तरह से विकृत कर दिया गया है। कई चीजें जो गवाह जेड को संरक्षित करती हैं, वे कंडिका 17.16 में शामिल नहीं की गई हैं। दुर्भाग्य से, कंडिका 17.16 कुछ बयानों को संरक्षित गवाह जेड के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जिसे उन्होंने नहीं दिया था। एन.आई.ए. को इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा। जाँच तंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन, इस मामले में, कंडिका 17.16 इसके विपरीत इंगित करता है।"

27. न्यायालय ने आगे इस हद तक कहा कि आरोप पत्र में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता किसी आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य था। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस पी.एफ.आई. का अपीलकर्ता सदस्य था, उसे यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 2 (एम) के अर्थ में आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। यह भी पाया गया कि यू.ए.पी.ए., 1967 की पहली अनुसूची में पी.एफ.आई. का उल्लेख आतंकवादी संगठन के रूप में नहीं किया गया है। आरोप-पत्र और गवाह 'जेड' के बयान को जब देखा जाए तो प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत अपराध किया गया है क्योंकि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।

28. अब, संरक्षित गवाह 'वाई' के बयान की ओर बढ़ते हैं। संरक्षित गवाह 'वाई' की गवाही जब देखी जाती है तो यह इंगित करता है कि अपीलकर्ता पर कट्टर धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति होने का आरोप लगाया जाता है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ धार्मिक जुलूसों और प्रदर्शनों में भाग लेता था। वह अपने इलाके के लोगों को पी.एफ.आई. की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अहमद पैलेस में आयोजित बैठकों को उसने स्वीकार किया है कि वे इस तरह से आयोजित की गई थीं जहां बहुत सारे बाहरी लोग आए थे। हालाँकि, वह गतिविधियों की प्रकृति या उसमें आयोजित बैठकों के संबंध में पूरी तरह से चुप हैं।

29. जहाँ तक संरक्षित गवाह 'एक्स' का संबंध है, हालाँकि उन्होंने अपीलकर्ता की पहचान पैगंबर मो. के खिलाफ नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ 09.06.2022 पर आयोजित विरोध/प्रदर्शन में शामिल होने के लिए की थी, जहाँ उत्तेजक नारे लगाए गए थे। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इसके अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया हो जो अपीलकर्ता के कार्य या चूक को यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत उसके द्वारा किए गए कथित अपराधों के दायरे में लाए।

30. अपीलकर्ता के खिलाफ ज़कात इकट्ठा करने के आरोप लोगों से पी.एफ.आई. की मदद करने या पी.एफ.आई. के सदस्यों की भर्ती करने के लिए है। इस स्तर पर इतना कहना ही पर्याप्त है कि जिस दिन अपीलकर्ता द्वारा ऐसी गतिविधियाँ की गई, उस दिन पी.एफ.आई. एक प्रतिबंधित संगठन नहीं था। किसी भी गवाह या संरक्षित गवाह ने यह नहीं कहा कि ज़कात के रूप में एकत्र की गई राशि का अपीलकर्ता द्वारा कभी दुरुपयोग किया गया था या किसी भी तरह से अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। संरक्षित गवाहों के बयान में ऐसी किसी विशिष्ट बात का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सके और जिस पर प्रथम दृष्टया यू.ए.पी.ए., 1967 के तहत आरोप लगाए जा सके।

31. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित प्रथम परीक्षण, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, यू.ए.पी.ए., 1967 की धारा 43-घ(5) के संबंध में संतुष्ट है। एक अन्य पहलू जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, वह यह है कि अपीलकर्ता से कथित रूप से बरामद सामग्री, विशेष रूप से वे दस्तावेज़ जिनमें अभियोजन पक्ष के अनुसार, ज़ब्ती ज्ञापन के अनुसार आपत्तिजनक सामग्री थी, दूसरी मंजिल से थे। जैसा कि किराया विलेख से स्पष्ट है, जिस पर अभियोजन पक्ष ने स्वयं भरोसा किया है, अहमद पैलेस

से केवल पहली मंजिल ही अपीलकर्ता को किराए पर दी गई थी, और वह उस पर अनन्य रूप से काबिज था। इससे सामग्री की बरामदगी के संबंध में भी कुछ संदेह पैदा होता है।

32. अपीलकर्ता को 12.07.2022 को गिरफ्तार किया गया था। वह दो साल और चार महीने से अधिक समय से हिरासत में है। आरोप पत्र 07.01.2023 को दाखिल किया गया था लेकिन आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं जो एक स्वीकृत स्थिति है। अभियोजन पक्ष द्वारा 40 अभियुक्तों और 354 गवाहों का हवाला दिया गया है जिनसे पूछताछ की जानी है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है, और जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता को अनिश्चित काल तक कारावास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वह भी बिना मुकदमे के। यदि इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति दी जाती है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इस न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब** (उपरोक्त) और **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** (उपरोक्त) तथा **थ्वाहा फसल बनाम भारत संघ** (उपरोक्त) में दिए गए अन्य निर्णयों में निर्धारित निर्णय का आधार इस मामले पर भी लागू होगा और अपीलकर्ता को जमानत देने का अधिकार प्रदान करेगा।

33. अपीलकर्ता के सह-अभियुक्त, मो. जलालुद्दीन को भी इसी आधार पर यही लाभ दिया गया है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "21. निर्णय देने से पहले, हमें यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र में दी गई सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया था। शायद उनका ध्यान पी.एफ.आई. की गतिविधियों पर अधिक था, और इसलिए अपीलकर्ता के मामले की उचित रूप से सुनवाई नहीं हो सकी। **जब जमानत देने का मामला बनता है, तो न्यायालयों को जमानत देने में कोई**

> **हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं। लेकिन, न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे कानून के अनुसार जमानत देने के मामले पर विचार करें। वर्तमान मामले जैसे मामले में भी, जहाँ संबंधित कानूनों में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें हैं, यही नियम लागू होता है, केवल इस संशोधन के साथ कि यदि कानून की शर्तें पूरी होती हैं तो जमानत दी जा सकती है।** इस नियम का यह भी अर्थ है कि एक बार जमानत देने का मामला बन जाने पर, न्यायालय जमानत देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर न्यायालय उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करने लगें, तो यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होगा।
>
> (ज़ोर दिया गया)

34. उपरोक्त के आलोक में, आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। तदनुसार अपील को इस निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि अपीलकर्ता को विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उचित नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करेगा।

35. इस उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता को आज से 07 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। विशेष न्यायालय उत्तरदाता के अधिवक्ता को सुनने के बाद उचित नियमों और शर्तों पर मुकदमे के समापन तक जमानत पर अपीलकर्ता को बढ़ा देगा।

36. यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियां अस्थायी प्रकृति की हैं, जो वर्तमान अपील में की गई प्रार्थना के संदर्भ में हैं, जो इसे अपीलकर्ता के मामले तक सीमित करती हैं। इसका मुकदमे या सह-अभियुक्त के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

37. लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

निर्णय-सार लेखन: †दिव्या पांडे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।